

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन,  
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र...../एफ-2-217/एस-2/31/2012,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक /11/2018

मुख्य अभियंता,  
महानदी गोदावरी कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- धमतरी जिले के विकासखण्ड-मगरलोड की हरदी बाढ़ नियंत्रण योजना की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश को निरस्त करने बाबत।

संदर्भ :- छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र.-3343/एफ-2-217/ एस-2 /31/2012, दिनांक 09.07.2015.

राज्य शासन एतद् द्वारा धमतरी जिले के विकासखण्ड-मगरलोड की हरदी बाढ़ नियंत्रण योजना में तीन वर्ष तक कार्य प्रारंभ न होने के कारण संदर्भित पत्र से जारी किये गये प्रशासकीय स्वीकृति आदेश को निरस्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( याकुब खेस्स )

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

अटल नगर, दिनांक 16/11/2018

पृ. क्र. 6249 /एफ-2-217/एस-2/31/2012,  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन